संख्या 207/VI-2/2018-52(05)17

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग   देहरादून दिनांक : 29 मार्च, 2018

विषय :– स्व0 चितरंजन राहा राजकीय इण्टर कॉलेज, दिनेशपुर, विकासखण्ड–गदरपुर, जनपद–उधमसिंहनगर में मिनी स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2300/दो–लेखा–3836–4/2017–18 दिनांक 05.03.18 के सन्दर्भ में स्व0 चितरंजन राहा राजकीय इण्टर कॉलेज, दिनेशपुर, विकासखण्ड–गदरपुर, जनपद–उधमसिंहनगर में मिनी स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम (खेल इकाई) देहरादून द्वारा प्रस्तुत आगणन ₹ 449.73 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त एवं सचिव, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल की अध्यक्षता में आहूत विभागीय समिति की बैठक दिनांक 16.03.2018 में लिये निर्णय के कम में औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 389.30 लाख **(निर्माण कार्य हेतु ₹ 302.43 लाख एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के अधीन ₹ 86.87 लाख)** के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि **₹ 50.00 लाख (रू पचास लाख)** मात्र को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19.10.2010, शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015, शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016, शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 तथा शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्ययोजना पर मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय एवं बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का धनावंटन कार्यदायी संस्था के साथ नियमानुसार सम्पादित एम0ओ0यू0 में वर्णित 18 माह के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कराया जाये।

4. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

5. कार्य करने से पूर्व समस्त नियमानुसार औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को देखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को नियमानुसार सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उच्चाधिकारियों से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये नियमानुसार निर्देशों के अनुरूप ही कार्य पूर्ण कराया जाए।

7. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन एवं वित्त विभाग को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

9. अधिप्राप्ति कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

11. उक्त कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित सचिव, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, उत्तराखण्ड शासन/परियोजना प्रबन्धक, पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम (खेल इकाई) देहरादून/निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

12. प्रथम चरण के कार्यो हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में करायी गयी डिजाइन/मानक–पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्यो हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

13. भूमि जिस पर निर्माण कार्य होना है, शिक्षा विभाग से युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करायी जायेगी।

14. उक्त भूमि पर निर्माण अपने देख–रेख में निर्धारित मानकों के आधार पर पूर्ण कराया जायेगा। किसी प्रकार की अनियमिततायें एवं मानक के विपरीत पाये जाने की स्थिति में निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

15. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा–102–खेलकूद स्टेडियम–15–ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

16. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–267(P)XXVII(3)/2017-18 दिनांक 29 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या–207/VI-2/2018–52(05)17, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. मुख्य महाप्रबन्धक निर्माण विंग, पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम (खेल इकाई) देहरादून उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

C:\Users\lenovo\Rahul-2015-16\Youth Welfare\G.O..doc